

मध्य प्रदेश शासन

सहकारिता विभाग

मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2017

क्रमांक एफ 1-4/2016/15-2 :: राज्य शासन द्वारा मंत्रिपरिषद् आदेश दिनांक 7 फरवरी 2017 के अनुसरण में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3-14/2013/1/3 दिनांक 12.8.2013 द्वारा जारी "मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित के सेवायुक्तों की राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना" के अंतर्गत तिलहन संघ के निम्नांकित सेवायुक्त को भृत्य के पद पर शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान कर, वेतनमान रुपये 4440-7440+1300 ग्रेड पे में सहकारिता विभाग में संविलियन निम्न शर्तों के अधीन करते हुये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	सेवायुक्त का नाम	वर्तमान	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1.	2.	3.	4.
1.	श्री घनश्याम राजपूत	हेल्पर	आयुक्त सहकारिता (मुख्यालय) भोपाल
2.	श्री सलीम खान	स्कील्ड वर्कर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता शाजापुर
3.	श्री एम.आई. खान	स्कील्ड वर्कर	कार्या. संयु. आयुक्त सहकारिता जबलपुर
4.	श्री भगवत सिंह ठाकुर	आपरेटर	आयुक्त सहकारिता (मुख्यालय) भोपाल
5.	श्री रामबाबू पंडित	आपरेटर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी
6.	श्री चन्द्र सिंह पाण्डेय	वाहन चालक	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता इंदौर
7.	श्री मदन लाल बाथव	हेल्पर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता विदिशा
8.	श्री रामाधार कहार	हेल्पर	कार्या. सहायक आयुक्त सहकारिता हरदा
9.	श्री राजेश बाथव	हेल्पर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जबलपुर
10.	श्री जगदीश पाण्डेय	हेल्पर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता छतरपुर
11.	श्री मान सिंह	हेल्पर	संयुक्त आयुक्त सहकारिता भोपाल
12.	श्री हरीसिंह चौहान	हेल्पर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी
13.	श्री राज बहोर शर्मा	हेल्पर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता शहडोल
14.	श्री गंभीर एस. यादव	हेल्पर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता नरसिंहपुर
15.	श्री रमेश शर्मा	हेल्पर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता देवास
16.	श्री विजय प्रसाद दुबे	हेल्पर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता शहडोल
17.	श्री बाबूलाल परमार	हेल्पर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता इंदौर
18.	श्री जलिल शाह	वाहन चालक	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता आगरमालवा
19.	श्री नन्नुलाल यादव	हेल्पर	आयुक्त सहकारिता (मुख्यालय) भोपाल

घा-6

31.3.17

20.	श्री दधीबाल प्रकाश केवट	हेल्पर	कार्या. उपायुक्त सहकारिता अलीराजपुर
21.	श्री लक्ष्मण साहू	हेल्पर	कार्या. सहायक आयुक्त सहकारिता हरदा
22.	श्री विजय साहू	हेल्पर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी
23.	श्री कन्हैया लाल यादव	हेल्पर	कार्या. उपायुक्त सहकारिता उज्जैन
24.	श्री कुंजीलाल राय	हेल्पर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता इंदौर
25.	श्री सुंदर लाल यादव	हेल्पर	आयुक्त सहकारिता (मुख्यालय) भोपाल
26.	श्री सुरेश गिरोतिया	हेल्पर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता खरगोन
27.	श्री महेश चन्द्र केवट	आपरेटर	कार्या. सहायक आयुक्त सहकारिता कटनी
28.	श्री हरि बाबूलाल परमार	आपरेटर	कार्या. सहायक आयुक्त सहकारिता नीमच
29.	श्री रामजीवन यादव	आपरेटर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता इंदौर
30.	श्री फूलसिंह यादव	आपरेटर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता बालाघाट
31.	श्री बृजलाल पटेल	आपरेटर	कार्या. संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा
32.	श्री हरीप्रसाद गढ़वाल	हेल्पर	कार्या. सहायक आयुक्त सहकारिता डिंडोरी
33.	श्री गोविंद विश्वकर्मा	हेल्पर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता भोपाल
34.	श्री रामलाल केवट	हेल्पर	कार्या. संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा
35.	श्री शिवचरण जाटव	आपरेटर	कार्या. सहायक आयुक्त सहकारिता श्योपुर
36.	श्री गणेश चन्द्र साधव	आपरेटर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता झाबुआ
37.	श्री फूलचन्द्र कोथिया	आपरेटर	कार्या. उपायुक्त सहकारिता अलीराजपुर
38.	श्री जगदीश पी. मालवीय	आपरेटर	आयुक्त सहकारिता (मुख्यालय) भोपाल
39.	श्री हरि पचौरे	आपरेटर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सागर
40.	श्री आशाराम आर्य	वाहन चालक	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता ग्वालियर
41.	श्री नारायणप्रसाद बुनकर	वाहन चालक	आयुक्त सहकारिता (मुख्यालय) भोपाल
42.	श्री त्रिगोरी मिंज	स्कील्ड वर्कर	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सागर
43.	श्री गुनवंत राव	आपरेटर	कार्या. संयु. आयुक्त सहकारिता जबलपुर
44.	श्री मोहन लाल राय	आपरेटर	आयुक्त सहकारिता (मुख्यालय) भोपाल
45.	श्री मोतीलाल सिंह गौंड	हेल्पर	कार्या. संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा

2. संविलियन की शर्तें :-

- (1) संविलियत पद के वेतनमान में वेतन निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12.8.2013 की कण्डिका 2.6 के अनुसार होगा।
- (2) कण्डिका 2.6.1 अनुसार संविलियन सेवायुक्त द्वारा संविलियत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो माह के अंदर उक्त कण्डिका क्रमांक 2.6 में दी गई प्रक्रिया अनुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा।
- (3) संविलियन के पश्चात् वरिष्ठता का निर्धारण कण्डिका 2.7 के अनुसार होगा।

(4) कण्डिका क्रमांक 2.8 के अनुसार संविलियत सेवायुक्तों को राज्य शासन के नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी।

(5) कण्डिका क्रमांक 2.9 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना 2005 लागू होगी तथा संविलियन उपरांत जी.पी.एफ. की पात्रता नहीं होगी तथा कण्डिका क्रमांक 2.9.1 के अनुसार संविलियन की दिनांक से पूर्व की सेवा अवधि की ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा नहीं किया जाएगा।

(6) कण्डिका क्रमांक 3.3 अनुसार संविलियन के आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में परिशिष्ट (7) में निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित कर्मचारी का संविलियन हेतु चयन निरस्त माना जावेगा तथा भविष्य में उसे संविलियन की पात्रता नहीं होगी।

(7) कण्डिका क्रमांक 3.3.2 के अंतर्गत संविलियन हेतु सेवायुक्तों की उपयुक्तता तथा अंतिम चयन के संबंध में संबंधित प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(8) "मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ मर्यादित के सेवायुक्तों की राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना" की अन्य सभी शर्तें संविलियत तिलहन संघ के उक्त सेवायुक्तों पर लागू होंगी।

3. उक्त पदों पर संविलियन के संबंध में वित्त विभाग की टीप क्रमांक 853/1079/2016/ नियम/चार दिनांक 27.6.2016 से सहमति प्राप्त की गयी है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

तथा आदेशानुसार,

(प्रकाश खरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग

भोपाल, दिनांक 20 मार्च, 2017


पृ. क्रमांक एफ 1-14/2016/15-2

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, समन्वय मुख्य सचिव कार्यालय।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं भोपाल।
5. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि यदि संबंधित कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर सहकारिता विभाग/ अन्य विभाग/ अन्य संस्थाओं में कार्यरत हो, तो उन्हें तिलहन संघ हेतु कार्यमुक्त किया जावे, ताकि तिलहन संघ द्वारा उन्हें उनके संविलियत पद हेतु कार्यमुक्त करते हुए तिलहन संघ में प्राप्त हो रहे अंतिम वेतन का प्रमाण पत्र जारी किया जा सके।
6. संचालक, संपदा संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मध्यप्रदेश।

8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मा. राज्य मंत्रीजी सहकारिता विभाग (स्वतंत्र प्रभार) भोपाल।
 9. संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त सहकारिता संभाग/ जिला कार्या..... की ओर सूचनार्थ।
 10. परिसमापक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ अर्थात्, भोपाल
 11. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 12. सर्व संबंधित कर्मचारीगण की ओर पालनार्थ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।




उप सचिव 20/2/07
मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग